संख्या- 89/2018/4320/**33-3-2018-30/2017** टी.सी.**3**

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- **निदेशक**,
पंचायतीराज,
उ0प्र0।

2- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-**3** लखनऊ, दिनांक- 10 दिसम्बर, **2018**

विषय:- **14**वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित की जाने वाली धनराशि का हस्तांतरण एवं उपभोग पी**0**एफ**0**एम**0**एस**0** के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार **14**वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के हस्तान्तरण एवं ग्राम पंचायतों का व्यय पी**0**एफ**0**एम**0**एस**0** के माध्यम से किया जाना है। उक्त के क्रियान्वयन हेतु समस्त सम्बन्धित इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सीज ग्राम पंचायतों को पी**0**एफ**0**एम**0**एस**0** पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, उ**0**प्र**0** शासन के शासनादेश संख्या-बी**0- 1-1206/**दस-**2017-**एम**0-39/2016** दिनांक **10.08.2017** द्वारा केन्द्रीय योजनाओं में इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सीज का पंजीकरण का कार्य पी**0**एफ**0**एम**0**एस**0** पोर्टल पर पूर्ण कर योजनाओं का भुगतान पी**0**एफ**0**एम**0**एस**0** के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए गए है।

2- श्री संजीब पटजोशी, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-एम**0-11015/307/2017-**एफ**0**डी**0** दिनांक **20.03.2018** द्वारा प्रदेश में **14**वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का व्यय पी**0**एफ**0**एम**0**एस**0** के माध्यम से भुगतान कराये जाने की अपेक्षा की गई है। उक्त के क्रम में दिनांक **09.10.2018** तक **58,807** ग्राम पंचायत संस्थाओं के सापेक्ष **55,897** का पी**0**एफ**0**एम**0**एस**0** पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं **32,113** ग्राम पंचायत संस्थाओं का एप्रुवल किया गया है। दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

04.10.2018 की राज्य स्तरीय बैठक में श्री बाला प्रसाद, अपर सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्काल पी**0**एफ**0**एम**0**एस**0** व्यवस्था लागू कराने की अपेक्षा की गई है।

3- भारत सरकार पंचायतीराज मंत्रालय से प्राप्त मार्ग निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **14**वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का पी**0**एफ**0**एम**0**एस**0** के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित कार्यवाही दिनांक **15.12.2018** तक पूर्ण करा लिया जाये **:-**

- राज्य स्तर, जनपद स्तर व समस्त ग्राम पंचायतों का पी**0**एफ**0**एम**0**एस**0** पर रजिस्ट्रेशन एवं एप्रुवल करा लिया जाये।
- ग्राम पंचायतों **(**प्रधान व सचिव**)** का पी**0**एफ**0**एम**0**एस**0** के माध्यम से भुगतान के लिए मेकर एवं चेकर कार्य हेतु डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट **(**डी**0**एस**0**सी**0)** तैयार करा लिया जाए।
- प्रिया साफ्ट पर समस्त ग्राम पंचायतों की वित्तीय वर्ष **2017-18** की समस्त प्रविश्टयां पूर्ण कराते हुए वार्षिक पुस्तिका बन्द करा ली जाए। वित्तीय वर्ष **2018-19** में अद्यतन मासिक पुस्तिका तथा दैनिक पुस्तिका बन्द करा लिया जाए।
- वित्तीय वर्ष **2018-19** की समस्त ग्राम पंचायतों की कार्य योजना प्लान प्लस पर अपलोड कराई जाए।
- दिनांक **15.12.2018** तक समस्त डी.पी.एम. तथा ए.डी.पी.एम. को निदेशालय स्तर पर तथा समस्त ग्राम पंचायत सचिवों को जनपद स्तर पर तथा सभी ग्राम प्रधानों को विकास खण्ड स्तर पर पी**0**एफ**0**एम**0**एस**0** के सम्बन्ध मे प्रशिक्षित करने हेतु निदेशक, पंचायतीराज उ**0**प्र**0** द्वारा जनपद तथा विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षित किये जाने हेतु रोस्टर तैयार कर तिथियां निर्धारित कर प्रशिक्षण करा लिए जाए।

अत: उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए पी**0**एफ**0**एम**0**एस**0** के माध्यम से ग्राम पंचायतों को धनराशि हस्तांतरण एवं भुगतान किये जाने हेतु समस्त कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी**)**
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

4- प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 षासन।

5- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।

6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

7- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।

8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार लक्षकार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।